प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक)

Centre for Development of Advanced Computing

संस्था के बहिर्नियम

Memorandum of Association

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
मंत्रालय
भारत सरकार की स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था

प्रगत संगणन विकास केंद्र

संस्था के बहिर्नियम

1. इस संस्था का नाम 'प्रगत संगणन विकास केंद्र' (संक्षिप्त रूप: सी-डैक) (Centre for Development of Advanced Computing) होगा तथा आगे यह 'संस्था' कहलाएगी।

2. जिन संस्थाओं के विलयन को ध्यान में रखते हुए संस्था का यह ज्ञापन-पत्र तैयार किया गया है उनके नाम हैं, (क) भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान तथा विकास केंद्र (ई आर एण्ड डी सी आई) के केंद्र जो कोलकाता, नोएडा, तिरुवनंतपुरम स्थित हैं तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है, (ख) राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केंद्र (एन सी एस टी) के मुंबई तथा बैंगलूर (इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी) में स्थित केंद्र और (ग) मोहाली में स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा तकनीकी केंद्र (सी ई डी टी आई) केंद्र। यह विलय 16 दिसम्बर 2002 से कार्यान्वित हुआ। इस प्रकार मार्च 1988 को पुणे में पंजीकृत सी-डैक के पंजीकरण के समय के संस्था के बहिर्नियम (ज्ञापन-पत्र), संस्थाओं के पंजीयन अधिनियम 1860 की धारा 2 के अनुसार अधिक्रमण कर दिया जाएगा।

3. इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे 411007 के परिसर में स्थित होगा।

4. संस्था के उद्देश्य:

4.1 इस संस्था के उद्देश्य हैं:

4.1.1 इलेक्ट्रॉनिक्स संप्रेषण तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आई सी टी ई) तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अग्रणी संस्था/ संगठन के रूप में स्थापित होना तथा अनुसंधान तथा विकास के इस परिवर्तन प्रतिमान को पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रमाणित करना।

4.1.2 पूरे देश में आई सी टी ई के क्षेत्रों में, प्रतिस्पर्धी तथा उत्तम विशिष्ट तकनीकी ज्ञान व विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए अनुसंधान तथा विकास संस्था के रूप में उभरना।

सुनिल मिसर
कुलसचिव
प्रगत संगणन विकास केंद्र
Sunil Misar
Registrar
Centre for Development of
Advanced Computing

7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी-डैक
CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

4.1.3 अनुसंधान तथा विकास के विविध क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेना, एकीकृत तथा सहयोगपूर्ण ढंग से समयोचित तथा आगामी प्रभाव के लिए शक्तिशाली प्रभावकारिता के साथ अनुसंधान मर्म के चुनौतीपूर्ण दूरगम लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति सक्रिय पहल करना। अनुसंधान कार्यक्रम आई सी टी ई के अभिसरण की झलक भी दिखा पाए।

4.1.4 विश्वव्यापी आई सी टी ई उद्योग में विकास के बारे में संपर्क स्थापित करना, उसकी खोज खबर रखना, मूल्यांकन करना तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा कर भारत की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम/कारगर यथोचित तकनीकी प्रयोग की दिशा में कार्य करना।

4.1.5 अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रेरक वातावरण निर्माण करना तथा उसका अनुरक्षण करना, स्थायी स्तर पर अभिनव परिवर्तन तथा बुद्धिजीवी संपत्ति/वैशिष्टयपूर्ण उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर तथा विधियाँ प्राप्त करना ताकि उसका उत्पादक तथा सार्थक प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।

4.1.6 भारत तथा विदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान तथा विकास परिणामों को ग्रहण करना तथा प्रभावकारी उपायों को अमल में लाना तथा उत्कर्ष की खोज में रहना और व्यावसायिकता और प्रचुर मात्रा में उत्पादन की दृष्टि से श्रेष्ठता को बुलंदियों पर पहुँचाना।

4.1.7 रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, विकास तथा उच्च मूल्य संर्वधन के लिए आई सी टी ई तथा संबंधित क्षेत्रों में, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की स्थापना व संचालन द्वारा ऐसा संघटन हो जिसमें कुशल तथा सक्षम मानवोचित स्रोत हों और जिसमें स्नातकोत्तर तथा अनुसंधानोन्मुख प्रशिक्षण का समावेश हो।

4.2 उक्त निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से, संस्था निम्न कर सकती है:

4.2.1 आई सी टी ई में, भूलभूत तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान, डिजाइन, समयोचित कलात्मक उत्पादन, समाधान तथा प्रणालियों के विकास तथा अभियांत्रिकीकरण की ऐसे चयनित, समय-सीमाबध्द तथा लक्ष्य-प्रेरक ढंग से जिम्मेदारी उठाना कि लागत, कार्य-निष्पादन तथा गुणवत्ता की आवश्यकता की दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन तथा प्रौद्योगिकियाँ प्रेरक साबित हों।

सुनील नसर
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी-डैक
CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

4.2.2 देश के आई सी टी ई क्षेत्र में, योजनाएँ प्रस्तुत करने, विशेष कार्यों को सुगम करने, कार्यक्रमों को बनाने, अनुसंधान तथा विकास की दृष्टि से प्रयत्न करना ताकि:

क. प्रौद्योगिकी सक्षमता प्राप्त हो तथा उसका अनुरक्षण हो।
ख. आत्भ-निर्भरता तथा उत्कृष्टता का संवर्धन हो।
ग. योजनाबद्ध क्षेत्रों में त्रुटियां कम हों।
घ. भारत तथा विदेशों में आई सी टी ई के क्षेत्र में विशेषज्ञों तथा व्यवसायों की बढ़ोतरी हो।

4.2.3 अपने आप या किसी देशी/ विदेशी एजेंसी के साथ आई सी टी ई क्षेत्र भें अनुसंधान कर विकसित तकनीकी का वाणिज्यिक बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना, आई सी टी ई के क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी या अनुसंधान और विकास के परिणाम उत्पन्न करना और उत्पादीकरण शुरू करने के लिए एक तंत्र बनाना, उत्पादीकरण, बड़ी संख्या में उत्पाद निर्माण कर संस्था में निर्मित उत्पादन/ सामाधान का मार्केटिंग/ वितरण करना।

4.2.4 अभीष्ट ग्राहक की आवश्यकता अनुसार अन्य एजेंसियों के उपलब्ध उत्पाद/ प्रणाली का प्रयोग करते हुए एकीकृत प्रणाली बनाना या उसमें मूल्य बढ़ावा करना।

4.2.5 राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहमोगात्मक अनुसंधान का अन्वेषण करना, निधि प्राप्त करना, उसका उत्तरदायित्व संभालना तथा यथोचित आई पी आर की साझेदारी के साथ कार्य करना।

4.2.6 आई सी टी ई के प्रणेताओं में काम करना तथा उससे संबंधित राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से कार्य करना।

4.2.7 प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं का भार संभालें तथा भारत तथा विदेश की अन्य संस्थाओं/ संगठनों/ निगमित निकायों से परामर्श सेवाएँ प्राप्त करने की जिम्मेदारी लेना।

4.2.8 विभिन्न परियोजनाओं के अधीन लक्ष्यों तथा वितरणों की तुलना के उपरांत अन्य संस्थाओं/ संगठनों/ विश्वविद्यालयों/ निगमित निकायों को, उनके कार्य निष्पादन की कड़ी मानीटरिंग के साथ, प्रतिस्थापित विकास के ठेके देने का प्रयत्न करना तथा परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

सुनील मसर
12-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी-डैक
CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

4.2.9 आई सी टी ई तथा संस्था के कार्यकलापों से संबंधित क्षेत्रों में, सलाह, परामर्श तथा भागीदारी के लिए भारत के भीतर तथा बाहर के अग्रगण्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करना।

4.2.10 संस्था में विकसित प्रौद्योगिकियों को, जहाँ आवश्यक हो, भारत के भीतर तथा बाहर के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक स्वार्थ-साधन प्राप्त करने के लिए हस्तांतरित करना।

4.2.11 संस्था द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों/ उत्पादनों के लिए संयुक्त साहसिक कार्यों, सहबंधों को प्रतिस्थापित करना और ऐसी यंत्रावलियों को प्रयुक्त करना, जिनके द्वारा बाजार से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके तथा बाजार विकसित किया जा सके।

4.2.12 प्रमाणन, आरंभिक उत्पादन, साथ ही साथ संस्था के लक्ष्य-पूर्ति सीमा क्षेत्र में अभियांत्रिक कार्यप्रणाली परियोजनाओं, मार्केटिंग परीक्षणों, क्षेत्र-परीक्षणों को संपादित करना।

4.2.13 विकास, निर्माण तथा सुगम्य संगणना प्रवेश को प्रेरित करते हुए, वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में संगणना करते हुए संगणनात्मक अभिरूपण तथा अनुसंधान को सुसाध्य बनाने में मदद करना तथा इच्छुक उपभोक्ताओं और अनुसंधान कर्ताओं को संगणन कार्य, डाटा स्टोरेज, नेटवर्किंग की सेवाएँ भी उपलब्ध करना।

4.3 आई सी टी ई के शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र तथा संबंधित क्षेत्रों के पक्ष में, संस्था निम्न कर सकती है:

4.3.1 भारत के अंदर तथा बाहर आई सी टी ई के क्षेत्रों तथा संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की रूपरेखा बनाना तथा उन्हें संचालित करना।

4.3.2 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से प्रगत उपाधि-पत्रों तथा पदवियों के लिए मार्गदर्शक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा निदेशित अनुसंधान का संचालन करना।

4.3.3 संस्था के हित-क्षेत्रों में, संस्था के उत्कृष्ट विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं को संस्था वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सहसंघ तथा शिक्षावृत्ति प्रदान करना।

7-2-2024

4.3.4 संस्था के विशिष्ट हित-क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संकायों या वैज्ञानिकों के परिवर्तन/आदान-प्रदान को संचालित या प्रेरित करना।

4.3.5 संस्था के विभिन्न अनुभागों के हित में, शैक्षणिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, आधुनिक अभिसामयिक तथा दूर-शिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्था की रूपरेखा बनाना, उनका विकास करना और उन्हें प्रेरित करना।

4.4 निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्था निम्न कर सकती है:

4.4.1 अनुसंधान तथा विकास निष्कर्षों/ विकासों/ निर्माणों/ संस्था कार्य संपादनों का प्रचार अभिसामयिक तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करना, इसके साथ-साथ इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण विकासों के लिखित-प्रमाण को आयोजित करना।

4.4.2 भारत के भीतर तथा बाहर के कुछ स्थानों पर, केंद्रों/ प्रयोगशालाओं को स्थापित तथा प्रोत्साहित करें, आवश्यक आधारभूत संरचना सुविधाओं तथा अन्य अवलंब के साथ-साथ, संस्था के हित में परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय प्रतिभा का सदुपयोग करना, पीढ़ी को प्रेरित करे तथा संस्थागत प्रतिभा संपत्ति अधिकारों की रक्षा करना।

4.4.3 भारत तथा भारत से बाहर उचित प्रौद्योगिकी तथा प्रयुक्ति-आधार की स्थापना करने के लिए प्रणालियों तथा उप प्रणालियों और सॉफ्टवेयर को विकसित करने में, अनुषंगी अनुसंधान केंद्रों को प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना।

4.4.4 देश के अंदर या यू.एन. को समाविष्ट करके विदेश से और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से, प्रचलित विधियों के अनुरूप, अनुदानों, उपहारों, ऋणों, अंशदानों, उपदानों या कोई अन्य वित्तीय योगदान, कोई अन्य संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल प्राप्त करना तथा/ या निवेश करना और संस्था के नियमों के अनुसार ऐसी निधि का सदुपयोग करना।

4.4.5 संस्था के उद्देश्य के लिए उचित कार्यप्रणाली द्वारा सेवा-निवृत्ति, भविष्य निर्वाह तथा अन्य निधियों को प्रतिस्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण करना।

सुनील मिसार
7-2-2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

4.4.6 मार्केटिंग, व्यापार विकास, प्रौद्योगिकियों के व्यापारीकरण, उत्पादनों और समाधानों की जिम्मेदारी को निभाने में संस्था को तैयार करना।

4.4.7 देश के अंदर तथा विदेशी प्रवासी भारतीयों और अन्य सक्षम व्यक्तियों को संस्था की गतिविधियों में भाग लेने, परामर्श देने के लिए आकर्षित तथा प्रेरित करना।

4.4.8 संस्था तथा उसके विभिन्न कार्यों, जिनमें कर्मचारी-वर्ग, वित्त, खरीद, प्रशासन आदि से संबंधित मामले हों, के सुचारू कार्य-संचालन के लिए सुगम कार्यप्रणाली की व्यवस्था करना।

4.4.9 सभी ऐसे विधिसंगत कार्य करना/ करवाना जो संस्था के प्रशासन के लिए प्रेरक तथा प्रासंगिक हों तथा निर्धारित लक्ष्य-प्राप्ति में सहायक सिद्ध हों।

5. संस्था की सारी आय, अर्जन, चल-अचल संपत्ति केवल इस ज्ञापन-पत्र में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्रयुक्त तथा प्रोत्साहित करने के लिए ही होगी, उसमें से किसी भी भाग की अदायगी नहीं होगी या प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया लाभांश, अधिलाभांश, लाभ के रूप में, या किसी अन्य रूप में संस्था के सदस्यों को, या सदस्यों द्वारा दावा करनेवाले किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं होगी। संस्था की चल-अचल संपत्तियों के विरुध्द संस्था के किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत दावा नहीं होगा और न ही सदस्यता के नाते कोई धन कमाना होगा।

6. संस्था, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मंत्रालय/ विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था होगी। निगमित नीतियों को तैयार करने और आवश्यक मार्गनिर्देशन प्रस्तुत करने तथा संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए संस्था की संरचना संस्थात्मक शासी परिषद के साथ एक शिखाग्र निकाय के रूप में होगी।

7. शासी परिषद उन निदेशनों की जाँच करेगी जो प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संस्था को जारी हो सकते हैं, उन निदेशनों को संस्था की लक्ष्य पूर्ति की ओर आगे बढ़ाने में प्रेरक समझना होगा और उनके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश निश्चित करने होंगे। केंद्रों के समवेत संस्था के कार्यकलापों के संचालन की जिम्मेदारी इस परिषद की हो, यह प्राधिकार निहित होगा। औचित्यपूर्ण ढंग से गठित समितियाँ, संस्था के वैज्ञानिकी/ तकनीकी/ प्रौद्योगिकी/ अकादमिकी/ वित्तीय/ प्रशासनिकी तथा नीति संबंधी मामलों में

7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office Centre for Development of Advanced Computing

परिषद को सहायता प्रदान कर सकती हैं। प्रबंधन मंडल होगा जो, संस्था के मुख्य प्रबंधक को सहायता प्रदान करेगा ताकि परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके।

8. परिषद को संस्था के कार्यकलापों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना होगा तथा उसकी गतिविधियों की निगरानी करनी होगी ताकि संस्था के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में, आवश्यक उपाय किया जा सके।

9. शासी परिषद संस्था के नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत संस्थागत गठित एक निकाय होगी।

10. यह संस्था का बहिर्नियम इन निम्नलिखित सदस्यों के नाम, पते, पदनाम का अनुसमर्थन करता है –

1. श्री दयानिधि मारन — अध्यक्ष
   माननीय केंद्रीय मंत्री
   संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

2. श्री. के. के. जसवाल — उपाध्यक्ष
   सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
   संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   भारत सरकार

3. प्रो. वी. एस. राममूर्ति — सदस्य
   सचिव, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभाग
   भारत सरकार

4. डॉ. आर. ए. माशेलकर — सदस्य
   सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
   अनुसंधान विभाग तथा महानिदेशक,
   सी एस आई आर, भारत सरकार

5. श्री एस. लक्ष्मीनारायणन — सदस्य
   अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
   संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र सी-डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office Centre for Development of Advanced Computing

भारत सरकार

6. डॉ. ए. के. चक्रवर्ती — सदस्य
दल-संयोजक तथा सलाहकार
(सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

7. श्री. अजीर विद्या — सदस्य
संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

8. श्री. पंकज अग्रवाल — सदस्य
संयुक्त सचिव, (संस्थाएँ)
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

9. प्रो. एन. बालकृष्णन — सदस्य
अध्यक्ष सूचना विज्ञान प्रभाग
आई आई एस सी, बंगलुरु

10. डॉ. एफ. सी. कोहली — सदस्य
भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा
कार्यकारी समिति सदस्य
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मुंबई

11. सुश्री अरुणा सुंदरराजन — सदस्य
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केरल सरकार

सुनील मिश्र
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी-डैक
CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

12. श्री. एस. रामकृष्णन सदस्य
महानिदेशक, सी-डैक

11. हम, कुछ व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे दिये गए हैं, इस संस्था के बहिर्नियम में उल्लखित उद्देश्य के लिए स्वयं को संबद्ध करते हुए, एतत द्वारा इस संस्था के बहिर्नियम में अपने नामों को अनुमोदित करते हैं।

संस्था के नियमों तथा विनियमों की प्रतिलिपि, यह प्रमाणित करने के लिए कि संस्था के विद्यमान शासी परिषद के सदस्यों की सही प्रतिलिपि है, संस्थाओं के पंजीयक कार्यालय, पुणे में इसके द्वारा दाखिल की जाती है।

क्र.	**नाम**	**हस्ताक्षर**
1.	श्री दयानिधि मारन ------	
2.	श्री के. के. जसवाल -----	
3.	प्रो. वी. एस. राममूर्ति -----	
4.	डॉ. आर ए माशेलकर -----	
5.	श्री एस लक्ष्मीनारायणन -----	
6.	डॉ. ए. के. चक्रवर्ती ------	
7.	श्री अजीर विद्या ------	
8.	श्री पंकज अग्रवाल -----	
9.	प्रो. एन. बालकृष्णन -----	
10.	डॉ. एफ. सी. कोहली -----	
11.	सुश्री अरुणा सुंदरराजन -----	
12.	श्री एस रामकृष्णन ------	

मैं उपरोक्त हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता हूँ।

राजपत्रित अधिकारी

7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी-डैक
CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing